

निहितबन्ध

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh


e-Stamp

SUMIT CHATURVEDI
ACC ID-UP14104004
MATHURA

7092/23

7092/2023

Certificate No. : IN-UP82349157337274V
 Certificate Issued Date : 11-Apr-2023 05:37 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14104004/ MATHURA/ UP-MTH
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1410400458971105423618V
 Purchased by : MESSERS MAHARAJA REALTECH
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : MAUJA SALEMPUR TEHSIL AND DISTT MATHURA
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : ANSHUL AGRAWAL
 Second Party : MESSERS MAHARAJA REALTECH
 Stamp Duty Paid By : MESSERS MAHARAJA REALTECH
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,75,000
 (One Lakh Seventy Five Thousand only)



Please write or type below this line

Anshul Agrawal



[Signature]



JD 0031308827

Statutory Alert:

The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shoelstamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India. In case of any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App render it invalid. It is the responsibility of the user to check the legitimacy of the certificate. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



{2}

॥ ओउम सिद्धिदात्री नमः ॥

लेखपत्र/विक्रयपत्र आराजी का संक्षिप्त विवरण-

1. भूमि का प्रकार : कृषि
2. स्थित : मौजा सलैमपुर मथुरा तहसील व जिला मथुरा।
3. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : **बिक्रय रकवा 0.2455 हैक्टेयर सम्पूर्ण अंश**
4. सड़क की स्थिति : सड़क, खरंजा से दूर व आबादी के समीप स्थित है।
5. प्रतिफल की धनराशि : 25,00,000/-रुपये
6. कुल मालियत : 24,99,000/-रु. (जिसमें भूमि मालियत : 24,55,000/-रु व 2 पेड शीशम आयु करीब 10 वर्ष से अधिक की मालियत प्रति वृक्ष 7000 के हिसाब से 14000/-रु व 6 पेड नीम व अन्य वृक्ष आयु 10 वर्ष से अधिक, जिनकी मालियत प्रति वृक्ष 5000 के हिसाब से 30000/-रु)
7. देय स्टाम्प : 1,75,000/-रु. ई-स्टाम्प जो प्रलेख के साथ संलग्न है।
8. उक्त क्षेत्र की कृषि भूमि का सरकारी रेट -100,00,000/-रुपया प्रति हैक्टेयर, जो पेज नं. कोड पर दर्ज है।
9. कार्य क्षेत्र उपनिबन्धक मथुरा।
10. विक्रेता-क्रेता दोनों भारतीय नागरिक हैं।

विक्रेता/प्रथम पक्ष का विवरण-1

अंशुल अग्रवाल पुत्र श्री कृष्ण दयाल अग्रवाल निवासी 75, सेक्टर-7, श्रीराधापुरम स्टेट मथुरा।

पैन : ए ए एच पी ए 3483 ए

मो-9319909243

क्रेता/द्वितीय पक्ष का विवरण-1

मैसर्स महाराजा रीयलटैक द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/साझीदार हरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पालीडूंगरा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा, हाल निवासी 106,107 व 108, महाराजा हाउस, आनन्दलोक, गोवर्धन रोड़ मथुरा।

पैन : ए बी ई एफ एम 9647 ए -मैसर्स महाराजा रीयलटैक

मो-8859404056


Anshul Agrawal



{3}



जोकि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी नकल खतौनी फसली वर्ष 1426-1431 के अनुसार खाता सं. 00044 खसरा नं. 52 रकवा 1.4730 हैक्टेयर लगानी कागजातानुसार स्थित मौजा सलैमपुर मथुरा तहसील व जिला मथुरा, में विक्रेता का हिस्सा रकवा 0.4910 है० में से भूमि रकवा 0.2455 है० अन्य बैनामा द्वारा विक्रय के बाद शेष आराजी रकवा 0.2455 है० सम्पूर्ण अंश मिल्कियत प्रथम पक्ष की आराजी भूमिधरी है, जिस कुल हिस्सा भूमि रकवा 0.4910 है० को विक्रेता ने बजरिये रजिस्टर्ड बैनामा इकरारी हरीप्रसाद एण्ड संस एच यू एफ द्वारा कर्ता हरीप्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री मूलचन्द से दिनांक 17.08.2022ई० जिसका निबंधन कार्यालय उ० नि० मथुरा पर बही सं. 1 जिल्द सं. 17597 के सफा 183-196 प्रलेख सं. 17062 से क्रय किया, जिस पर प्रथम पक्ष का ही कब्जा है तथा उक्त आराजी पर प्रथम पक्ष ही बहैसियत मालिक, काबिज व दखील चला आता है तथा प्रथम पक्ष का ही नाम राजस्व अभिलेखों व सरकारी कागजात नकल खतौनी आदि में दर्ज हैं। सिवाय प्रथम पक्ष के उक्त आराजी का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है और न किसी जगह रहन व गिरवी आदि है तथा प्रथम पक्ष को उक्त आराजी की बाबत पूरे मालिकाना काबिजाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त है तथा उक्त आराजी किसी सरकारी व अर्द्ध सरकारी बैंक आदि में बंधक नहीं है और उक्त आराजी भूमि की बाबत कोई वाद-विवाद किसी न्यायालय आदि में विचाराधीन नहीं है और ऐसा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है, जो उक्त आराजी के बेचने या हस्तान्तरण आदि करने में बाधा या रुकावट डाल सके और न ही प्रथम पक्ष ने उक्त आराजी की बाबत कोई इकरारनामा किसी के साथ तय किया है, यानि हर प्रकार के झगड़े झंझट व जमानत आदि से पाक साफ तन्हा प्रथम पक्ष की ही आराजी भूमिधरी है। उक्त आराजी काफी ज्यादा खार खड्डेदार कृषि भूमि है। उक्त आराजी से प्रथम पक्ष को कोई खास लाभ व आय नहीं है तथा काश्त से भी अच्छी आय नहीं हो पाती है, जिस कारण प्रथम पक्ष को अपने व अपने परिवार की जरूरतों हेतु धन की आवश्यकता है। अतः प्रथम पक्ष ने अपनी आराजी को विक्रय कर देना उचित समझा है। उक्त आराजी के विक्रय से प्राप्त धनराशि को कहीं और निवेश कर देने से प्रथम पक्ष को एक अच्छी व नियमित आय हो जावेगी और इस समय द्वितीय पक्ष उक्त आराजी को अच्छी कीमत देकर क्रय करने को तैयार है, इस कीमत में बेच देने में प्रथम पक्ष का सरासर लाभ है।

Amul Agarwal



अतः उक्त शेष आराजी भूमिधरी विक्रय रकवा 0.2455 हैक्टेयर सम्पूर्ण अंश भूमि जिसको संलग्न नक्शा मानचित्र में रंग लाल से दर्शाया गया है, को समस्त हक हकूक व अधिकारो सहित जो प्रथम पक्ष विक्रेता को प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त हो यानि कुल को बिना छोडे किसी भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध के समस्त राईट्स व इन्ट्रेस्ट व गुड टाईटिल के व समस्त हकूक व अधिकारों सहित वखुशी बराजी अपने बऐवज 25,00,000/-रु. (पच्चीस लाख रूपये) में बदस्त मैसर्स महाराजा रीयलटैक द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/साझीदार हरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पालीडूंगरा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा, हाल निवासी 106,107 व 108, महाराजा हाउस, आनन्दलोक, गोवर्धन रोड़ मथुरा, खरीदार द्वितीय पक्ष के हक में बेच दी और बिक्री कर दी और कीमत का कुल रूपया प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से निम्न भाँति प्राप्त करके व कुल रूपये की प्राप्ती होना अंगीकार कर कब्जा व दखल बेची गयी आराजी रकवा 0.2455 हैक्टेयर सम्पूर्ण अंश भूमि पर खरीदार द्वितीय पक्ष का प्रथम पक्ष ने वाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया। द्वितीय पक्ष फर्म बेची गयी उक्त आराजी की आज से एकमात्र मालिक व स्वामी हो गयी। वह समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावे और जिस प्रकार चाहे प्रयोग करे और जो चाहे सो करे तथा अपना नामान्तरण सरकारी कागजात व राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष के स्थान पर दर्ज करावे। अब बेची गयी उक्त आराजी से प्रथम पक्ष व उनके वारिसों का कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न कभी आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। खरीदार द्वितीय पक्ष उक्त आराजी को चाहें जिस प्रकार से प्रयोग करे और जो चाहे सो करे, इसमें प्रथम पक्ष विक्रेता व उनके वारिसों को कुछ उज्र न होगा। यदि बेची गयी आराजी का जुज या कुल हिस्सा खरीदार से निकल जावे, या उसकी बाबत कहीं रहन व गिरवी आदि निकले या कोई भी झगडा झंझट आदि निकले या कोई वाद विवाद विचाराधीन पाया जावे या खरीदार द्वितीय पक्ष को उसकी बाबत कुछ खर्च करना पडे या देना पडे, तो उस सबकी बिक्रेता प्रथम पक्ष की पूरी जिम्मेदारी होगी तथा विक्रेता स्वयं पूरे जिम्मेदार होंगे तथा खरीदार अपना मूल्य का कुल रूपया व समस्त हर्जा-खर्चा बिक्रेता प्रथम पक्ष व उनके वारिसान से वसूल करने के अधिकारी होंगे।

Anshu Agarwal



(5)

किसी प्रकार का विवाद दोनों पक्षों व अन्य पक्षों के मध्य होता है, तो द्वितीय पक्ष को प्रतिफल की राशि को बाधित करने का अधिकार होगा। भविष्य में बेची गयी आराजी की बाबत यदि कभी कोई वाद विवाद, भार, ऋण इत्यादि किसी भी प्रकार का पाया जाता है अथवा कोई कानूनी पेचीदगी आती है, तो उस कुल की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी, द्वितीय पक्ष का उससे कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं होगा। बेची गयी आराजी विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर स्थित है। अब उक्त खसरा नंबर में विक्रेता का कुछ भी अंश शेष नहीं रहा है। उक्त आराजी में खेती हो रही है। विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। विक्रयशुदा भूमि किसी भी ग्रामसभा सीलिंग भूदान आदि के पट्टा आबंटन की भूमि नहीं है। तस्दीकी मुख्तारनामा आम दिनांक 11.08.2020 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा में बही नंबर-6 खण्ड 7 के सफा 125-134 पर क्रमांक 15 पर दिनांक 11.08.2020 को हुई है, के द्वारा राजकुमार पुत्र श्री हरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम अहमलकलाँ, सौख तहसील गोवर्धन जिला मथुरा या सुखवीर सिंह पुत्र श्री जवाहर सिंह निवासी ग्राम भूडासानी तहसील माँट जिला मथुरा, को उक्त क्रेता हरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पालीडूंगरा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा हाल निवासी 106,107,108, महाराजा हाउस, आनन्दलोक, गोवर्धन रोड़ मथुरा, की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख निबन्धन हेतु प्रस्तुत करने व निबन्धन कराने आदि के पूरे-पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

विवरण मूल्य का कुल रुपया प्राप्ती का-

मूल्य का कुल 25,00,000/-रु विक्रेता ने क्रेता से इस प्रकार प्राप्त किए कि-
10,00,000/-रु चैक सं. 451925 दिनांक 27.06.2022
15,00,000/-रु चैक सं. 604944 दिनांक 12.07.2022
दोनों चैक केनरा बैंक के प्राप्त किए।

Anshu Agarwal



आवेदन सं०: 202300764018597

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 7092

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता: 1

श्री अंशुल अग्रवाल, पुत्र श्री कृष्ण दयाल अग्रवाल

निवासी: 75 सेक्टर-7 श्रीराधापुरम स्टेट मथुरा

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1


श्री मैसर्स महाराजा रीयल्टैक द्वारा हरेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा राजकुमार ,
पुत्र श्री हरेन्द्र सिंह

निवासी: ग्राम अहमलकलां सौख तह० गोवर्धन जिला मथुरा

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1




श्री नितिन , पुत्र श्री रामगोपाल

निवासी: प्रकाश नगर मथुरा

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2




श्री राकेश , पुत्र श्री रामबाबू

निवासी: चूनाककड शहर मथुरा

व्यवसाय: अन्य




रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी : नोट- विक्रेता ने प्रलेख में दिये गये विवरण के अनुसार प्रतिफल
प्राप्त करना स्वीकार किया।

राजीव हेकरियालुपभारी
उप निबंधक : संदर प्रथम
मथुरा
13/04/2023

प्रदीप उपाध्याय .
निबंधक लिपिक मथुरा
13/04/2023

प्रिंट करें

{6}

यह प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार समक्ष गवाहान उन्हें पढ़ाकर, सुनाकर व दिखाकर ड्राफ्ट व टाईप किया गया है।

Anshu Agrawal



[Handwritten signature]



दिनांक : 12.04.2023



टाईप किया : के0 के0 शर्मा, मथुरा।

ड्राफ्ट किया : नितिन बंसल कातिब रजिस्ट्री कार्यालय मथुरा।

साक्षी-

1. नितिन पुत्र श्री रामगोपाल
निवासी प्रकाश नगर मथुरा।


2. राकेश पुत्र स्व0 रामबाबू
निवासी चूना कंकड मथुरा।



आवेदन सं०: 202300764018597


बही संख्या 1 जिल्द संख्या 18153 के पृष्ठ 381 से 394 तक क्रमांक 7092 पर दिनांक 13/04/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।


रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राजीव हैकरवाल प्रभारी
उप निबंधक : सदर प्रथम
मथुरा
13/04/2023

प्रिंट करें

गाजी नबशा आराजी खसरा नं. 52 खंवा 1.4730
 है० में हिस्सा खंवा 0.4910 है० में से भूमि खंवा
 0.2455 है० अथ बॉ० द्वारा विक्रय के बाद शैव आराजी
 खंवा 0.2455 है० सम्पूर्ण अंश स्थित मौजा-सर्वमपुर
 मथुरा तहसील व जिला मथुरा
 विक्रीता- अंशुल अग्रवाल पुत्र श्री कृष्ण दयाल अग्रवाल





Anshul Agrawal
